न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 27 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
दरियादेवी पुत्र बागा पत्नी भुराराम आयु करीब 57 साल जाति नाई निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भीमाराम पुत्र बागाराम जाति नाई निवासी महाबार 2.जुगतसिंह पुत्र जवाहरसिंह के कायम मुकाम:– 2/1मोहनसिंह पुत्र जुगतसिंह 2/2कानसिंह पुत्र जुगतसिंह 2/3भुरसिंह पुत्र जुगतसिंह 2/4सम्पतसिंह पुत्र जुगतसिंह 2/5नामालुम बेवा जुगतसिंह 3.मालाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी सुरा जागीर तहसील बाड़मेर। 4.माधुसिंह पुत्र जुगतसिंह आयु करीबन 60 साल जाति राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर। 5.उगराराम पुत्र पूनमाराम 6.देवी पत्नी भगाराम जाति नाई निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर 7.राजेन्द्र पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी रावली नाडी गरल तहसील व जिला बाड़मेर। 8.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 102/2015 बअनवान दरियादेवी बनाम भीमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री राणाराम गौंड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 22.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद 88, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अभिकथन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 बागा के वंशज है तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता बागा पुत्र सरूपा व सह खातेदार पूनमा पुत्र सरूपा व भोला पुत्र झण्डीराम के नाम वक्त सेटलमेंट में खेत खसरा संख्या 84 रकबा 157 बीघा मौजा माहबार आया हुआ था जिस खेत में भोला का 1/2 हिस्सा, पुनमा 1/4 हिस्सा व बागा 1/4 हिस्सा खातेदारी का था। वादीनी के पिता बागाराम का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 भीमाराम ने चालाकी कर उक्त खेत का फौतगी का नामान्तकरण अपने तथा भाई कुम्पा व माता अकलादेवी के नाम से गलत भरवा दिया जबकि उस समय बागा के वारिसान में इनके अलावा वादीनी एवं उसकी बहने जानुदेवी, भीखुदेवी, लीलादेवी, भी कानूनन वारिसान थे तथा उक्त खेत में उनका भी हक हिस्सा था। तत्पश्चात अपीलांट/वादीनी के भाई कुम्पा का देहान्त होने पर उसका हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 व माता अकलादेवी के नाम नामान्तकरण भरा गया। वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/6 हिस्सा विधिनुसार बनता है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा था। अपीलांट के भाई व माता ने अपने नाम गलत इन्द्राजों का फायदा उठाकर अपने 1/6, 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अन्य उतरदाता संख्या 2, 3 व 4 को कर दिया जो अपीलांट के हक हिस्से तक प्रारम्भतया शून्य एवं निष्प्रभावी है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प महाबार में रखने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व वादीनी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलांट/वादीनी ने अपना वाद 1/6 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रमाणित है किसी भी खातेदारी भूमि में घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट महाबार में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादीनी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 14.06.2016 केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय महाबार में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी वादिनी ने वादग्रस्त भूमि के बारे में भरे गए विरासतन नामांतरकरण को भी चुनौती नहीं दी हैं इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। बेचान के विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीनी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 23.02.2018 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में रीडर साहब से जानकारी चाही तब बताया कि उक्त प्रकरण का फैसला कैम्प कोर्ट में कर दिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से उसी दिन आलोच्य निर्णय की नकल मांगी गई जो दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय महाबार में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। वादिनी/अपीलांट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही इक निहित था, जो उसके पिता मृतक बागा की मृत्यु के समय ही उसमें निहित हो चुका था। तत्पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादिनी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादिनी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2015 बअनवान दरियादेवी बनाम भीमाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 को निरस्त कर मामला इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2019 को उपस्थित हो।

22/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner